राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन प्लाट नं0 2, सैक्टर-17, पंचकूला

रा0नि0आ0/1-लेखा/2010/740-52 24.05.2010

फैक्स संदेश मानदेय बजट तिथिबद्ध

फैक्स नं0 0172-2585904, 2585670, 2585671
ई-मेल नं0 **cao.sec@hry.nic.in**

सेवा में

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत,
अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, झज्जर, जीन्द, कैथल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, मेवात, पलवल, सिरसा एवं सोनीपत।

विषयः- पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2010 के दौरान मानदेय एवं रिफ्रैशमैंट की राशि गणना हेतु वास्तविक पोलिंग बूथों की सूचना भिजवाने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

2. इस संबंध में लिखा जाता है कि आयोग के पत्र क्रमांक रा0नि0आ0/3-लेखा/2010/408-428, दिनांक 29.03.2010 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के आम चुनावों के खर्चे व अन्य महत्वपूर्ण हिदायतों के लिए संकलित पीली पुस्तिका भेजी गई है, ताकि खर्चो/ चुनाव से सम्बन्धित कार्यो को सही ढंग से संचालित किया जा सके।

3. आयोग के पत्र क्रमांक SEC/1-Accounts/2010/711-23, dated 24-05-2010 के द्वारा सभी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत) को चुनाव मद में मानदेय व रिफ्रैशमैंट की राशि 4,41,92,300/- रु0 आयोग में प्राप्त अनुमानित पोलिंग बूथों के आधार पर आयोग के पत्र क्रमांक SEC/1-Accounts/2010/200-220, dated 30-04-2010 के द्वारा निर्धारित संशोधित दरों के अनुसार गणना करके अलाट की गई है।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि आपके जिलों की पोलिंग बूथों की वास्तविक संख्या की सूचना चुनाव से पहले आयोग को फैक्स एवं ई-मेल के द्वारा भेजी जाए, ताकि वास्तविक आधार पर मानदेय व रिफ्रैशमैंट आदि की बकाया राशि की अलाटमैंट बारे आगामी कार्यवाही की जा सके और स्टाफ को मौके पर ही राशि वितरित की जा सके।

5. कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए। उक्त हिदायतों की एक प्रति सभी सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रेषित की जाए।

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा